# अंचल कार्यालय महेशपुर।

राजस्व विविध वाद अभिलेख संख्या–198/16–17

(बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950(झारखण्ड में अंगीकृत) धारा–4(H)के अन्तर्गत)

| आदेश की तिथि | पदाधिकारी का आदेश | अभ्युक्ति |
|---|---|---|
| 18.8.20 | इस वाद की कार्यवाही मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 04/स0भू0 (विधा निर्देश)–95/2016, 2074/रा0 राजस्व, निबंधन एंव भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार दिनांक 13.05.2016 के आलोक में अपर समाहर्ता पाकुड़ के संसूचित आदेश ज्ञापांक 479/रा0 दिनांक 14.05.2016 से अनाबादी खातान्तर्गत गैर मजरूआ आम/खास भूमि की संदेहास्पद कायम जमाबंदी की जॉच संदर्भित प्राप्त निदेश के आलोक में प्रारम्भ की गई है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित है कि मौजा चन्द्रपुरा थाना संख्या–254 अनाबादी खाता संख्या–16 दाग संख्या–97 रकबा–01 बीघा 00 कट्ठा 00 धूर किस्म–जंगल साल कहकर विगत सर्वे खतियान में दर्ज है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा राजस्व पंजी–।। की सम्यक् जॉचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत दाग की भूमि मौजा–चन्द्रपुरा के राजस्व पंजी–।। भोल्यूम संख्या–01 पृष्ठ संख्या–65 में मिशन चन्द्रपुरा के नाम से बिना आधार साक्ष्य जमाबंदी कायम है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा स्पष्ट अनुवंसित मंतव्य अंकित किया गया है कि कायम जमाबंदी को देखने से यह स्पष्ट होता है कि भूमि सुधार के उद्देश्यों को विफल करने हेतु सरकारी भूमि को हड़पने/कब्जा करने के प्रयास के तहत् फर्जी तरिके से जमाबंदी कायम की गई है जिसका सरकार के हित में विलोपन आवश्यक है।<br><br>इस कार्यालय के ज्ञापांक 708/रा0 दिनांक 09.08.2016 से निर्गत नोटिस जो अभिलेखवद्व है के प्रत्युत्तर में फादर जोसेफ द्वारा अपने दावे के समर्थन में वर्ष 1980 में निष्पादित निबंधित केवाला, जो सिस्टर मैरी महेशपुर के पक्ष में निष्पादित है, समर्पित किया गया है। दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि अनाबादी खाता की भूमि जिसकी खतियानी प्रविष्टि जंगल साल कहकर दर्ज है को किस अधिकार एंव हक से विक्रेताओं के द्वारा संयुक्त रूप से मिशन चन्द्रपुरा के पक्ष में निबंधित दस्तावेज के माध्यम से स्वत्वाधिकार का अन्तरण किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकारी भूमि को हड़पने की मंशा से विधिक दस्तावेज निर्माणार्थ विक्रय का यह प्रयास है जो नियमानुकूल नहीं है। चूंकि यह विधिमान्य है कि लगान रसीद पूर्वाग्रह रहित होते है एंव मात्र जमींदारी लगान रसीद अथवा सरकारी भू–लगान रसीद के आधार पर किसी के स्वत्वाधिकार को बिना ठोस आधार साक्ष्य दस्तावेज के नहीं माना जा सकता है। **राजस्व, निबंधन एंव भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड रॉची के पत्रांक–1704 दिनांक–15.07.2020 से यह स्पष्ट दिशा निदेश प्राप्त है कि वर्ष 01.01.1946 के पूर्व निबंधित विक्रयपत्र/पट्टा/हुक्मनामा के आधार पर खोले गए जमाबंदी की सभी अपेक्षित दस्तावेजों के सत्यापन एंव भौतिक सत्यापन के पश्चात् आदेश पारित करना है।**<br><br>सभी तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अनाबादी खाता की प्रश्नगत भूमि जिसकी खतियानी प्रविष्टि जंगल साल कहकर दर्ज है को हड़पने की मंशा से एंव बिहार भूमि सुधार के उद्देश्यों को विफल करने की मंशा से निबंधित केवाला का संधारण कर विधि विरूद्ध दखल भोग किया जा रहा है। उक्त परिप्रेक्ष्य में निबंधित दस्तावेज को विधिसम्मत रूप से निरस्त करने की कार्रवाई के साथ साथ विपक्षी के पक्ष में विधि विरूद्ध कायम जमाबंदी का सरकार एंव लोकहित में विलोपन आवश्यक है। **अतः मौजा चन्द्रपुरा थाना संख्या–254 अनाबादी खाता संख्या–16 दाग संख्या–97 रकबा–01 बीघा 00 कट्ठा 00 धूर किस्म–जंगल साल का मिशन चन्द्रपुरा के नाम मौजा–चन्द्रपुरा के राजस्व पंजी–।। के भोल्यूम संख्या–1 पृष्ठ संख्या–65 में निराधार कायम जमाबंदी विलोपन की अनुशंसा की जाती है।** अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्ता, पाकुड़ को भेजें।<br><br>लेखापित एंव संशोधित<br>18/08/2020<br>अंचल अधिकारी<br>महेशपुर<br><br>18/08/2020<br>अंचल अधिकारी<br>महेशपुर | |

Digitally signed by SANJAY KUMAR SINHA
Date: 2024.07.10 13:32:11 +05:30
Location: 192.168.0.109

Scanned with CamScanner